

फर्द अहकाम

जिला कलेक्टर

राजस्थान

राजस्थान

दिनांक 09/12/19

विषय

शिविर 205

विषय

पंचायत विभाग

पत्रावली संख्या 9/17

पद

09-12-19

आधि. प्राथी उप. आधि. अग्रथी सं. 01/002
 उ. आधि. प्राथी की वस सुनी गयी। वस में बताया
 गया कि प्राथी कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः
 निगरानी भ्रष्टाचार खारिज करना प्रभावित।
 अतः आधि. प्राथी कोई कार्यवाही नहीं चाहते
 से निगरानी की प्राथना स्वीकार कर उक्त निगरानी
 भ्रष्टाचार खारिज की जाती है।
 पत्रा. पैसल शुमार होकर दर्ज सं. नं.
 से कम की जाकर पत्रा. दाखिल हफ्तर हो।

A/
 जिला कलेक्टर
 राजस्थान